Brief of Status of Micro-Irrigation Fund (MIF) created under NABARD

Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare is implementing 'Per Drop More Crop' component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY- PDMC). The PMKSY- PDMC focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation technologies viz. Drip and Sprinkler irrigation systems. During the last five years (2015-16 to 2019-20), an area of 46.21 lakh ha have been covered under Micro Irrigation through PMKSY-PDMC.

Further, Micro Irrigation Fund corpus of Rs. 5000 crore has been created with NABARD during 2017-18. The objective of the fund is to facilitate the States in mobilizing the resources for expanding coverage of Micro Irrigation by taking up special and innovative projects and also for incentivising micro irrigation beyond the provisions available under PMKSY-PDMC to encourage farmers to install micro irrigation systems.

As per Guidelines of the MIF, a Tripartite Memorandum of Agreement has to be signed between State, NABARD and Govt. of India for availing fund. Accordingly, Tripartite MoA has been signed by States of Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Haryana, Uttrakhand and West Bengal. Detailed Status of the implementation of MIF is as under:

I. Steering Committee of MIF approved projects amounting Rs. 3827.37 Crore comprising; Rs. 764.13 Crore for Gujarat, Rs. 1357.93 Crore for Tamil Nadu, Rs. 616.14 Crore for Andhra Pradesh, Rs. 291.11 Crore for West Bengal and Rs.798.06 Crore for Haryana. The total area of the projects is 12.53 lakh ha.

II. Project Sanctioning Committee of NABARD has approved loans for Rs. 2841.58 Crore comprising; Rs. 616.14 Crore for Andhra Pradesh, Rs. 764.13 Crore for Gujarat, Rs. 1357.93 Crore for Tamil Nadu, and Rs.103.38 Crore for Haryana. Sanctioning of Project of Government of West Bengal and remaining Project of Haryana will be considered in next meeting of Sanctioning Committee of NABARD.

III. So far, State of Andhra Pradesh and Tamil Nadu have submitted the loan withdrawal application for Rs. 616.14 Crore and for 478.79 crore respectively against expenditure made during 2019-20. The area covered under these projects is 2.97 lakh ha (1.021 lakh ha in Andhra Pradesh and 1.76 lakh in Tamil Nadu) NABARD has released the loan to these states.

नाबार्ड के तहत निर्मित माइक्रो-इरिगेशन फंड (एमआईएफ) की स्थिति का संक्षिप्त विवरण

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PMKSY- PDMC) घटक को लागू कर रहा है। PMKSY- PDMC सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। पिछले पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के दौरान, PMKSY-PDMC के माध्यम से माइक्रो इरीगेशन के तहत 46.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

इसके अलावा, रु। 5000 करोड़ माइक्रो इरीगेशन फंड कॉर्पस वर्ष 2017-18 के दौरान नाबार्ड के साथ का सृजन किया गया है। निधि का उद्देश्य राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करना है, ताकि विशेष सिंचाई और नवीन परियोजनाएं शुरू की जा सकें और साथ ही किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए PMKSY-PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा सके।

एमआईएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य, नाबार्ड और भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। निधि का लाभ उठाने के लिए तदनुसार, त्रिपक्षीय समझौते पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। एमआईएफ के कार्यान्वयन की विस्तृत स्थिति निम्नानुसार है:

I. एमआईएफ की संचालन समिति ने कुल रु। 3827.37 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। जिसमे रुपये। 764.13 करोड़ गुजरात के लिए, रु। 1357.93 करोड़ तमिलनाडु के लिए, रु। 616.14 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए रु। 291.11 करोड़ पश्चिम बंगाल के लिए और हरियाणा के लिए रु। 798.06

करोड़ योजनाए शामिल है। इन परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल 12.53 लाख हेक्टेयर है।

II. नाबार्ड की परियोजना मंजूरी समिति ने रुपये 2841.58 करोड़ के लिए ऋण को मंजूरी दी है। जिसमे; रुपये। 616.14 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए, रु। 764.13 करोड़ गुजरात के लिए, रु। 1357.93 करोड़ तमिलनाडु के लिए और हरियाणा के लिए रुपये। 103.38 करोड़ कि योजनाए शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजना की मंजूरी और हरियाणा की शेष परियोजना को नाबार्ड की मंजूरी समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

III. अब तक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य ने योजना के तहत 2019-20 के दौरान किए गए व्यय के विरुद्ध ऋण वापसी का आवेदन रु। 616.14 करोड़ और रु। 478.79 करोड़ के लिए (क्रमशः) प्रस्तुत किया है। इन परियोजनाओं के तहत आने वाला क्षेत्र 2.97 लाख हेक्टेयर (आंध्र प्रदेश में 1.021 लाख हेक्टेयर और तमिलनाडु में 1.76 लाख)। नाबार्ड ने इन राज्यों को ऋण जारी किया है।